

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

CVs Module 03 ग्राम सभा की समितियाँ और उनमें भागीदारी
(परिवर्तन प्रेरकों हेतु)

महिला बचत समूहों और ग्रामीण

संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी



टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयवस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	● प्रशिक्षण के वातावरण का निर्माण
01.00	● ग्राम सभा की समितियाँ	● ग्राम सभा की स्थाई समितियाँ ● ग्राम सभा की स्थाई समितियों का गठन एवं संचालन प्रक्रिया ● स्थाई समितियों के कार्य	● खुली चर्चा ● संवाद ●	● समितियों के निर्माण एवं उनमें भागदारी पर समझ
01.00	● ग्राम सभा की अस्थाई समितियाँ कौन कौनसी और क्यों	● ग्राम सभा की अस्थाई समितियाँ ● अस्थाई समितियों के गठन की प्रक्रिया ● ग्राम सभा की अस्थाई समितियों के कार्य ●	● फ़िल्म अथवा पीपीटी ● सवाल जबाब ● संवाद	● अस्थाई समितियों की आवश्यकता एवं कार्य पर समझ
01.00	● समितियों में समूह एवं संगठन की भूमिका का महात्व	● शाला प्रबंधन समिति के कार्य ● ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य ● खाद्य सुरक्षा कानून क्या और क्यों	● समूह अभ्यास ● समूह कार्य ● संवाद	● समितियों में समूदाय के लोगों की भागीदारी के महात्व पर समझ

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाये। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागियों को एकत्र होने में 1–2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परियच के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागियों की विषय पर समझ ज्ञान रुचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रुचिकर हो और प्रतिभागियों के अनुकूल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागियों को इकट्ठा होने में 30–40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागियों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5....) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागियों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागियों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागियों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागियों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं0–1 में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागियों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोड़े में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है।परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

समितियों की आवश्यकता क्यों

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग—अलग जाति, समूदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। अलग—अलग क्षेत्रों में लोगों के रहन—सहन, खानपान, परम्पराओं, रीति रिवाजों में भी समानता नहीं है। इन्हीं असमानताओं के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी क्षेत्रवार अलग—अलग हैं जिन्हें पूरा करने के लिये सरकार को कई प्रकार के अलग—अलग तरह के काम करने होते हैं। कामों को सही ढंग से करने के लिये केन्द्र, राज्य, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाता है। जिस तरह केन्द्र और राज्य स्तर पर अलग—अलग मंत्रालय, एवं विभिन्न विभागों के बीच कामों का बंटवारा किया जाता है, उसी प्रकार पंचायतों के स्तर पर भी कामों का बंटवारा किया जाता है। जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिये पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान है। जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षा पूरी करने के लिये निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यों का क्रियान्वयन व निगरानी करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिये गए हैं।

सन् 2001 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा की सात समितियां गठित करने का प्रावधान था। इस व्यवस्था में कुछ वर्षों बाद परिवर्तन कर अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायत और ग्राम सभा की 3—3 स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।

इस के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर कार्य के आधार पर एवं विभागवार भी समितियों का गठन किया जाता है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण, वन प्रबंधन आदि इन सभी कार्यों का प्रभाव ग्राम में निवास करने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि समूदाय के लोगों की भागीदारी इन समितियों में हो ताकि कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित किया जा सके।


यहाँ पर प्रतिभागीयों से प्रशिक्षक द्वारा कुछ सवाल किये जाये जैसे—

- क्या परिवार में किसी शादी या समारोह में कार्य किस के द्वारा किया जाता है
 - क्या सभी कार्य शादी के लड़की के पिता द्वारा या समारोह में परिवार के मुखिया द्वारा सभी कार्य किये जाते हैं
- आपके ग्राम संगठन में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है क्यों
 - यहाँ ग्राम संगठन की समितियों के गठन का उद्देश्य जाने, क्यों बनाई गई, कौन लोग उसके सदस्य होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, उनके कामों की निगरानी या समीक्षा कौन करता है आदि।

इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर विश्लेषण किया जाये कि किसी भी काम को करने के लिये लोगों को जिम्मेदारी सौंपना आवश्यक होता है और उसकी समीक्षा करना भी। अब हम समझे ग्राम सभा की समितियों को।

ग्राम सभा की स्थायी समितियां

पूर्व में ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति के नाम से ग्राम सभा की 2 स्थायी समितियां गठित की जाती थीं। परन्तु “मध्यप्रदेश राजपत्र” क्रमांक 444 दिनांक 1 सितम्बर 2010 में प्रकाशित मध्यप्रदेश ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारोबार, संचालन तथा बैठक) नियम 2010, का नियम 9 के उपरांत ग्राम सभा की 3 स्थायी समितियां हो गई हैं। ग्राम सभा की तीनों स्थायी समितियों को नीचे चित्र के माध्यम से बताया गया है।



ग्राम सभा की स्थायी समितियों का गठन

- तीनों समितियों का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- ग्राम निर्माण समिति व ग्राम विकास समितियों के अध्यक्ष—सरपंच तथा उपाध्यक्ष—उपसरपंच रहेंगे। जबकि ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति का अध्यक्ष किसी महिला सदस्य को नियुक्त किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत का सचिव तीनों समितियों का पदेन सचिव होगा।
- ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समितियों में एक—एक पंच, एक महिला सदस्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से कोई सदस्य नहीं है तब अनारक्षित वर्ग से सदस्य चुना जाएगा।
- ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति में विषय के संबंध में हित रखने वाले न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 20 ऐसे सदस्य होंगे जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो। कुल सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत होगी। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा। इसके अलावा इन वर्गों से कम से कम एक महिला को भी सदस्य चुना जाएगा। ग्राम की सभी महिला पंच, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व—सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का हेण्डपम्प मेकेनिक/सहायक मेकेनिक इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठक

- स्थाई समितियों की महीने में कम से कम एक बैठक जरूर किए जाने का नियम है।
- बैठक बुलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष तथा बैठक का एजेन्डा जारी करने की जिम्मेदारी सचिव की है।
- सभी सदस्यों को बैठक की पूर्व सूचना सचिव द्वारा दी जावेगी।
- यदि एक माह पूरा होने के बाद 10 दिन तक अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है तो सचिव खुद बैठक बुला सकता है।
- यदि स्थाई समिति के आधे सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने की मांग लिखित में सभापति से की जाती है तो सभापति द्वारा विशेष बैठक बुलाना जरूरी है जिसकी सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से 3 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाना जरूरी है।
- स्थाई समिति की बैठक में चर्चा व निर्णय हेतु कोई भी सदस्य अपने मुद्दे रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैठक की सूचना की तारीख से तीन दिन के भीतर, सचिव को लिखित में देना जरूरी है।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों में कोरम

- अध्यक्ष को छोड़कर कम से कम आधे यानी पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। कोरम पूरा न हो तो बैठक 1 घंटे के लिये स्थगित की जाएगी। यदि फिर भी बैठक में कोरम पूरा न हो तो बैठक स्थगित कर अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी। कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित बैठक फिर से होने पर उसमें कोई नए विषय नहीं जोड़े जाएंगे, किन्तु उसमें भी कोरम पूरा होना आवश्यक है।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों में फैसले

- स्थाई समिति द्वारा सभी फैसले बैठक में सदस्यों से चर्चा करके लिए जाने का नियम है। यदि किसी मुद्दे पर सदस्यों में मतभेद है तो बहुमत से फैसला लिया जा सकता है। बहुमत से फैसला लेते समय सभापति का मत तभी लिया जाएगा, जब दोनों पक्षों के मत बराबर हो।

ग्राम सभा की स्थायी समितियों के कार्य :

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की तरह ही ग्राम सभा की स्थायी समितियों के कार्य तय किये गए हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में बताया गया है :

ग्राम निर्माण समिति	ग्राम विकास समिति	ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तर्दर्थ समिति
<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की एजेन्सी के रूप में, उसके अधीन रहकर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 5 लाख रुपये तक के समस्त प्रकार के निर्माण कार्य कराना निर्माण कार्यों पर किये गए व्यय का ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन कराना यह समिति निर्माण कार्यों के मासिक व्यय का मदवार ब्यौरा और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ग्राम पंचायत की "निर्माण तथा विकास समिति" के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है समस्त निर्माण कार्यों एकजाई प्रगति रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना तथा कार्यों के संबंध ग्राम सभा द्वारा लिये गए निर्णयों का पालन करना। कराए गए कार्यों का कलेक्टर या जिला पंचायत द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन कराना। ग्राम पंचायत, ग्राम निर्माण समिति को सौंपे गए निर्माण कार्यों के संबंध में कोई भी जानकारी मांग सकेगी और उस पर अपनी राय दे सकेगी। उपरोक्त के अलावा अन्य वे समस्त कार्य जो ग्राम सभा द्वारा ग्राम निर्माण समिति को सौंपे जाएँ। 	<ol style="list-style-type: none"> लोक संपदा जैसे कि भूमि, वन, जल संसाधन, खनिज संसाधन तथा पर्यावरण का प्रबंधन तथा इन्हें अतिक्रमण से बचाना कृषि, पशुपालन, सहकारिता, भूमि उद्धार से संबंधित विषय जिसमें भूमि संरक्षण, कंटूर बंडिंग, मत्स्यपालन, कम्पोस्ट खाद बनाना, बीज वितरण भी सम्मिलित हैं तथा कृषि एवं पशुधन से संबंधित कार्य कराना ग्राम सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य जैसे कि टीकाकरण, रोग के निवारण के लिए उपाय, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय, सफाई, जलप्रदाय तथा जल निकास आदि से संबंधित कार्य कराना ग्राम की सुरक्षा जैसे कि जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के समय राहत से संबंधित कार्य कराना अधोसंरचना जैसे कि ग्रामीण सड़क, संचार, ग्रामीण गृह निर्माण, लोक भवन तथा ऊर्जा आदि से संबंधित कार्य कराना प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता से संबंधित कार्य कराना छुआछूत को हटाए जाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित समस्त विषय। 	<ol style="list-style-type: none"> महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कार्ययोजना बनाना तथा कार्यान्वयन में सहयोग देना। आंगनवाड़ियों में भौतिक सुविधाओं और अधोसंरचनाओं की जरूरतों को पंचायत के सहयोग से पूरा कराना। मध्यान्ह भोजन की नियमितता और गुणवत्ता की निगरानी रखना। आंगनवाड़ी केन्द्रों के खुलने और बंद होने के समय की निगरानी। प्रति सोमवार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर संचालित योजनाओं की समीक्षा करना। जिसमें मुख्यतः यह जानना कि अतिक्रम तथा कम वजन वाले बच्चों के और उनके माता-पिता की केन्द्र की सेवाएं प्राप्त करने में कितनी भागीदारी है। पोषणाहार खाते में प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध निर्णय लेना।

सामाजिक बुराई जैसे दहेज
को हटाना तथा बीमार, वृद्ध
तथा निराश्रित, महिला का
कल्याण तथा बाल कल्याण
से संबंधित कार्य कराना
8. इसके अलावा वे समस्त
कार्य, जो ग्राम सभा द्वारा
समिति को सौंपे जाएं।

द्वितीय सत्र

01.00

विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बनायी जाने वाली समितियां

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अलावा अलग-अलग कार्यक्रमों के लिये भी ग्राम सभा स्तर पर समितियों का गठन किया जाता है। जिनकी जानकारी आगे तालिका में दी गई है:—

कार्यक्रम आधारित गठित की जाने वाली समितियां

समिति	समिति के गठन की प्रक्रिया	समिति के कार्य
शाला प्रबंधन समिति : (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं के प्रबंधन हेतु प्रत्येक शाला में ऐसी समिति गठित करने का प्रावधान है। इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है)	<ol style="list-style-type: none"> प्रथमिक शाला की समिति में 18 सदस्य होंगे। माध्यमिक शाला की समिति में 16 सदस्य होंगे। समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होना चाहिये। समिति में शाला में दर्ज बच्चों के माता- पिता या संरक्षक और चुने हुए 2 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उक्त समिति में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होंगे जो समिति सदस्यों के बीच से चुने जावेंगे, शाला के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक व वरिष्ठ महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक समिति के सचिव होंगे। 	<ol style="list-style-type: none"> विद्यालय की विकास योजना बनाना एवं उसकी सिफारिश करना। सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अंशदान एवं उसके उपयोग की देखरेख करना। सभी शिक्षक नियमित एवं समय पर शाला में उपस्थिति हों, साथ ही कोई शिक्षक प्रायवेट ट्यूशन या प्रायवेट शिक्षण कार्य न करे यह सुनिश्चित करना। माता-पिता व संरक्षक

		<p>के साथ बैठकें करना एवं बच्चों की शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>5. स्थानीय लोगों व बच्चों को कर्तव्य व जिम्मेदारियों के बारे में आसान तरीकों से जानकारी देना।</p>
<p>वाटरशेड समिति : (जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के कार्य क्षेत्र में शामिल माइक्रो वाटरशेड में परियोजना क्रियान्वयन, एजेंसी व परियोजना क्रियान्वयन दल की तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में परियोजना का कार्यान्वयन वाटरशेड समिति करेगी)</p>	<ol style="list-style-type: none"> समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। वाटरशेड समिति के गठन की कार्यवाही परियोजना क्रियान्वयन दल की उपस्थिति में की जायेगी। वाटरशेड समिति का गठन प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह व स्वसहायता समूह के एक-एक प्रतिनिधि और परियोजना क्रियान्वयन दल के एक सदस्य को शामिल कर किया जायेगा। वाटरशेड समिति में आधे सदस्य अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय, महिलाओं, भूमिहीन व्यक्तियों तथा लघु व सीमांत कृषक होंगे। अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में बहुमत के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन दल के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। जहां एक माइक्रो वाटरशेड में एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हों, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग वाटरशेड समितियां गठित की जायेगी। 	<p>ग्रामीणों को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों और विभिन्न पहलुओं पर सतत अवगत करवाना और उनसे निरन्तर संवाद कर संपर्क में रहना।</p> <ol style="list-style-type: none"> परियोजना क्रियान्वयन दल को सौंपे गये दायित्वों को निभाने और पूरा करने में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के कार्यकलापों के चयन, उपयोगकर्ता समूहों व स्वसहायता समूहों के गठन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल कार्यकलापों में गरीब ग्रामीणों, महिलाओं, भूमिहीनों तथा लघु व सीमांत कृषकों के हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है / सम्मिलित किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी और परियोजना क्रियान्वयन दल के सहयोग से वार्षिक कार्य योजना तैयार कराना। परियोजना क्रियान्वयन

		<p>दल के मार्गदर्शन एवं सहयोग से परियोजना का गुणवत्तापूर्ण तथा तकनीकी रूप से कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।</p> <p>5. परियोजना के अन्य कार्यकलापों के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करना।</p> <p>6. कार्यान्वयित हो रहे कार्यकलापों की निरंतर निगरानी करना।</p>
ग्राम सामाजिक संपरीक्षा समिति	<ol style="list-style-type: none"> समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूर होंगे जिनका चयन को ग्राम सभा में किया जाता है। समिति में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम एक तिहाई होना चाहिये। समिति का कार्यकाल 6 माह का होता है। समिति में पंचायत प्रतिनिधि या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा जा सकता। 	<ol style="list-style-type: none"> समिति का मुख्य कार्य पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना। पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का भौतिक व मौखिक सत्यापन और कार्यों के दस्तावेजों का सत्यापन कर कार्यों के गुण दोषों की पहचान करना। सत्यापन में मिली जानकारी के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना और आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।

कैसे करें समितियां कार्यों की निगरानी

ग्राम सभा में गठित होने वाली विभिन्न समितियों का काम उन्हें सौपे कार्यों का क्रियान्वयन करना है। साथ ही समिति का काम संबंधित सेवाओं की निगरानी करना भी है। उदाहरण के लिए शाला प्रबंधन समिति का दायित्व है कि वह स्कूल की निगरानी कर यह देखें कि वहां पढ़ाई की क्या स्थिति है, बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति कितनी है? मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता कैसी है? आदि। अन्य समितियों को

भी इसी तरह संबंधित सेवाओं की निगरानी करना जरूरी है। इस बारे में यहां यह सवाल सामने आता है कि समितियों के सदस्य निगरानी कैसे करें? इस सवाल के संदर्भ में निगरानी की प्रक्रिया और कौशल इस प्रकार हैः—

1. संबंधित सेवा का दौरा करना

निगरानी के लिए संबंधित सेवा का दौरा करना यानी वहां जाकर देखना एक बुनियादी प्रक्रिया है। सार्वजनिक सेवाओं का दौरा करने के लिये यह जरूरी है कि समिति के सदस्य समूह में जाए, न कि अकेले। इससे चर्चा एसं विचार-विमर्श में मदद मिलेगी। लगभग चार या पांच लोगों का समूह होना चाहिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो।

2. अवलोकन

अवलोकन निगरानी का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। अवलोकन का मतलब किसी चीज को गहराई से देखना है। उदाहरण के लिए यदि हम आंगनवाड़ी का दौरा करते हैं तो यह देख सकते हैं कि वहां कितने बच्चे उपस्थित हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका क्या करती हैं, वहां साफ-सफाई और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है तथा पोषण आहार एवं भोजन कैसा है आदि। इस तरह अन्य सार्वजनिक सेवाओं का अवलोकन कर वहां की स्थितियां पता लगायी जा सकती हैं। अवलोकन के अंतर्गत कहां क्या स्थिति देखने को मिली, यह एक डायरी में लिखना चाहिए। यदि कुछ खामियां निकलकर आती हैं तो निराकरण हेतु संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया जा सकता है।

3. दस्तावेजों का अध्ययन

हर सार्वजनिक सेवा में चाहे वे स्कूल, आंगनवाड़ी या राशन दुकान आदि हो, कुछ रजिस्टर एवं लिखित दस्तावेज होते हैं। निगरानी के दौरान उन दस्तावेजों को पढ़कर भी वहां की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि स्कूल की निगरानी करने जाते हैं तो वहां शिक्षकों एवं बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर देखकर पता लगा सकते हैं इनकी उपस्थिति की क्या स्थिति है। इसी तरह मध्यन्ह भोजन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि कई दस्तावेज होते हैं।

4. कर्मचारियों से संवाद

कर्मचारियों से संवाद निगरानी का एक खास पहलू है। निगरानी दल द्वारा वहां उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत कर उस सेवा की स्थिति जानी जा सकती है तथा वहां की समस्याओं के समाधान ढूँढ़े जा सकते हैं। कर्मचारियों से बातचीत में यह नहीं झलकना चाहिए कि हम कोई गलती ढूँढ़ने आए हैं, बल्कि यह स्पष्ट करना चाहिए कि निगरानी का मुख्य उद्देश्य उस सेवा को बेहतर बनाना और उस तक सभी पात्र एवं जरूरतमंद लोगों की पहुंच बनाना है।

अभ्यास

प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए अभ्यास को कराएं। यदि प्रतिभागियों में लिखने-पढ़ने वालों की संख्या कम हो तो समूह बनाकर भी अभ्यास कराया जा सकता है। समूह बनाते समय इस बात

का ध्यान रखें कि हर समूह में कम से कम एक—दो प्रतिभागी लिखने पढ़ने वाले अवश्य हों। यदि प्रतिभागियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो खुले मंच में प्रतिभागियों के साथ नीचे दिये गए प्रश्न पूछें। खुले मंच में प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि एक प्रतिभागी को केवल एक प्रश्न का जवाब देने का अवसर दें, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अवसर मिल सके।

1. ग्राम सभा की स्थायी समिति के अन्य सदस्य कौन—कौन होते हैं, इनका चयन कैसे किया जाता है ?

2. इन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में से कितने—कितने सदस्य का चयन जरूरी है ?

3. स्थायी समितियों से पंचायत को क्या लाभ है ?

4. अस्थाई समितियों का कार्यकाल कब तक रहता है ? एक—दो उदाहरण बताएं।

5. स्थायी समिति की बैठकों में कोरम पूरा होने के लिये कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है ?

6. यदि कोरम पूरा न हो तो बैठक के लिये क्या प्रावधान हैं ?

7. स्थायी समितियों की बैठक में मुददों पर निर्णय कैसे लिये जाते हैं ?

8. यदि किसी मुददे पर निर्णय में आधे सदस्यों का मत हो तथा आधे सदस्यों का मत न में हो तो, निर्णय कैसे लिया जाएगा ?

9. ग्राम सभा की स्थायी समितियां किसके नियंत्रण में काम करती हैं तथा किसको जवाबदेह हैं ?

10. स्थायी समितियों की बैठकों की तारीख कौन तय करता है और बैठक किसके द्वारा बुलायी जाती है ?

11. ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अलावा, क्या पंचायत में और किसी प्रकार की समिति होती है ?

ग्राम स्तर पर देखा जाये तो एक आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावीत करने वाले कारक है शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण हमने अभी तक विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अपनी समझ को बनाया की कैसे ग्राम सभा एवं पचांयत हमारे विकास की योजनाएँ बनाये और पात्र व्यक्तियों तक उनकी पहुँच हो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर समूदाय की सक्रिय भागेदारी की आवश्यकता है।

जैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान देना ये सभी हमारे संगठन के 13 सूत्रों का ही हिस्सा है। इन सभी कार्यों हेतु पृथक पृथक ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। आवश्यकता है कि इन समितियों को सक्रिय किया जाये और सभी अपनी जिम्मेदारीयों का पालन करें।

शाला प्रबंधन समिति

यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे ग्राम संगठन के गठन के क्या क्या उद्देश्य हैं? हमने ग्राम संगठन की मासिक बैठकों का हमारा क्या उद्देश्य है ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर हम ग्राम संगठन में चर्चा करते हैं। क्या हमारा उद्देश्य ये है

1. एक दुसरे से मिलने के लिए
2. अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए
3. परेशानियों में एक दुसरे का साथ देने के लिए
4. रोजगार के बेहतर साधनों को जुटाने के लिए
5. अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए
6. बच्चों कि बेहतर शिक्षा के लिए
7. या मासिक बैठक में हस्ताक्षर करने के लिए

शायद, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद ने हम सभी को इस संगठन से बांधे रखा है यह भविष्य जुड़ा है एक अच्छे आज से, जिसमें हम सब मिल के अपने आने वाले कल को खुद बेहतर बना सकें। हम तभी सक्षम हैं जब हम शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक हैं।

लेकिन आने वाला कल बेहतर कैसे होगा कुछ सावाल यहाँ प्रतिभागियों से पूछे

1. आप में से किस-किस के यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं और क्या वे स्कूल जाते हैं?
2. क्या आपने कभी स्कूल जाकर वहाँ की व्यवस्था देखी?
3. क्या आपको मालूम है कि आपके स्कूल की शाला प्रबंधन समिति में कौन-कौन हैं?
4. कभी शाला प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया या सदस्यों से चर्चा की?
5. क्या वे अपने बच्चों की शिक्षा से संतुष्ट हैं?
6. यदि संतुष्ट नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं?

यदि अपने बच्चों की शिक्षा से संतुष्ट नहीं है तो इसके क्या कारण है? कारणों को एक चार्ट पर लिखें। इस तरह स्कूल की समस्याओं की एक सूची सामने आएगी।

अब यह जानकारी दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्कूल के प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिये शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया गया है।

शाला प्रबंधन समिति की आवश्यकता क्यों

शिक्षा विकास और समाज का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध होता है। सामाजिक विकास, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षणिक परिवृश्य को सुधारने हेतु समुदाय की भागीदारी की अनिवार्यता को समझते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों के सीधे-2 हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए समय-2 पर निरन्तर प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों की मूल भावना यह थी कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में आगे आएँ। माता-पिता/अभिभावक सही रूप से अपने बच्चों को उचित साधन सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि माता-पिता/अभिभावक विद्यालय प्रबन्धन के निर्णयों में सहभागी बनें। विद्यालय विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो, विद्यालय का स्वामित्व समुदाय में निहित हो, इसके लिए आओ हम विद्यालय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के बारे में कुछ समझें, कुछ जानें। राज्य के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक (1-5) एवं माध्यमिक (6-8) विद्यालय में “निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक-2009” की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक की धारा-21 की मंशा के अनुसार अब म.प्र में विद्यालय विकास एवं संचालन हेतु विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। विद्यालय के विकास से सम्बन्धित सभी निर्णय गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लिए जा रहे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी योजना क्यों न बन जाए, जब तक वहां के लोग, विषेश रूप से पालकों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) को सौंपी गई है ताकि प्रत्येक विद्यालय पर वहां के पालक अपने विद्यालय के लिए योजना स्वयं बना सकें व अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझें। इस विधेयक की अवधारणा का मूल है कि समुदाय के जागरूक रहने पर ही कोई पद्धति ठीक

1. शाला प्रबंधन समिति की संरचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011, में की गई व्याख्या के अनुसार शाला प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी—

1.प्राथमिक शाला-प्रायमरी स्कूल के लिए शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 18 सदस्यीय होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

2. माध्यमिक शाला—मीडिल स्कूल के लिए शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 16 सदस्यीय होगी। इसके न्यूनतम तीन औरथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के माता—पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

2. शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया –

बच्चों के माता—पिता अथवा अभिभावक का चयन—शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अथवा अभिभावक के चयन की वही व्यवस्था रखी गई है जो पालक शिक्षक संघ के गठन के समय रखी गई थी।

शाला प्रबंधन समिति की ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदारी

अधिनियम के अनुसार शाला प्रबंधन समिति सहित अन्य सभी समितियां ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। शाला प्रबंधन समिति के सचिव (प्रधानाध्यापक) को ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए, ग्राम सभा सदस्य उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि –

- शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में क्या निर्णय लिए गए तथा निर्णयों का कितना पालन हुआ?
- बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति है?
- शिक्षा संबंधी योजनाओं जैसे – यूनिफार्म, किताब वितरण, छात्रवृत्ति वितरण आदि की क्या स्थिति है?
- मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन से संबंधित सवाल। (इसका उत्तर मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह द्वारा दिया जा सकता है।)
- किसी बच्चे के साथ होने वाले भेदभाव या अन्य किसी दुर्व्यवहार के बारे में सवाल पूछा जा सकता है।
- शिक्षा संबंधी अन्य कोई सवाल जो सदस्यों के मन में हो।

निगरानी कौशल

प्रशिक्षक यह बताएं कि एसएमसी के अलावा ग्रामसभा सदस्य भी स्कूल का दौरा कर वहां की स्थिति देख सकते हैं। अतः यह तय करें कि इस माह एक समूह स्कूल का दौरा कर वहां की स्थितियों को जायजा लेगा।

निगरानी में क्या—क्या चीजें देखी जाएंगी, इसकी सूची बनाएं।

उदाहरण के लिए,

1. बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति,
2. मध्यान्ह भोजन, सफाई व स्वच्छता की स्थिति,
3. बालक—बालिकाओं के लिए अलग—अलग शैचालय की उपलब्धता एवं उसमें पानी व साफ सफाई की स्थिति,
4. स्कूल की पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, पढ़ाई की स्थिति आदि कई चीजों को देखा जा सकता है।

एक स्कूल का दौरा कर निगरानी करवाएं अथवा अभ्यास के लिए रोल प्ले कराया जा सकता है। जिसमें उपस्थित सदस्य स्कूल में क्या—क्या देखेंगी और उस पर क्या चर्चा करेंगी, इसका अभ्यास करके बताएंगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

प्रत्येक गाँव में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए गाँव स्तर पर एक स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति का गठन किया जाता है। गाँव में ये ऐसे लोगों का समूह है जो यह समझता हैं कि बेहतर या अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास का एक महात्वपूर्ण घटक है। इस समिति में वह लोग होते हैं जो अपने लिए व गाँव के लिए बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।

1000 की आबादी वाले प्रत्येक गाँव में इस समिति का गठन किया जाता है इस के कार्य संचालन हेतु सरकार द्वारा इन्हें 10 हजार तक की सहयोग राशि भी प्रदाय की जाती है।

क्या करती है ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ?

समिति का मुख्य कार्य अपने गाँव के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल देखरेख करना है। गाँव को ऐसा स्वरूप देना है जिसमें उसका हर व्यक्ति सुख शान्ति और समृद्धि से रह सके। यह समिति लोगों के बीमार होने का इंतजार नहीं करती। इस समिति के कार्यों को मुख्य रूप से चार भागों में बॉटा गया है।

1. सूचना
2. निगरानी
3. कार्यवाही
4. स्वास्थ्य योजना का निर्माण

1. गाँव के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाना —: गाँव के स्वास्थ्य व स्वच्छता के स्तर को देखते हुये यह समिति गाँव के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाती है गाँव में सम्भावित बीमारीयों के रोकथाम के लिए योजना बनाती है।

2. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उप स्वास्थ्य केन्द्र के साथ मिलकर गाँव में संचालित करना।

3. जानकारी उपलब्ध कराना —: गर्ववती महिलाओं को उनके लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, और इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक मदद करना।
4. जन स्वास्थ्य गतिविधियाँ —: स्वास्थ्य समिति अपने स्तर पर गाँव की गलीयों में पड़े गंदे पानी के निपटान के लिए सौख्यता गढ़ों का निर्माण कर सकती है। इसी तरह गाँव में सफाई बनाये रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करा सकती है। इसमें निमिलिखित कार्य सम्मलील है।

1. गर्ववती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को प्रसुती के दौरान आपातकालीन स्थिति में यातायात उपलब्ध कराना
2. परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
3. गाँव में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना व प्रतिदिन पेय जल की स्वच्छता के लिए पानी का क्लोरिनिकरण करना।
4. कन्या भू

5. भ्रुण हत्या की रोकथाम के लिए सामूदायिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना गाँव में होने वाली हर नवजात मृत्यु पर चर्चा करना व ऐसा दुबारा न हो इस पर चर्चा करना।
 6. गाँव की मुख्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं व परेशानियों को उच्च स्वास्थ्य अधिकारीयों को बताना व कार्यवाही के लिए मांग करना।
 7. लोगों में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का बढ़ावा देना।
 8. गाँव की महिलाओं एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम
 9. नवजात शिशुओं का वजन करने में अंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग करना।
 10. यह समिति गाँव में गर्भवती महिलाओं एवं माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का व्योरा मदर ट्रेकोर्स नाम रजिस्टर में रखेगी।
5. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त गाँव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति यह सूनिश्चित करती है कि उनके गाँव के लिए नियुक्त ए.एन.एम अपना निर्धारित कार्य ठीक तरह से करें यह समिति ए.एन.एम को उनके कार्य पूर्ण करने में सहयोग करेगी।

इस तरह ये समिति ग्राम स्तर पर कार्य करती है। जिससे आम जन को बेहतर जीवन स्तर हो।

बदलाव दीदी के रूप में हम इस समिति को कैसे सहयोग कर सकते हैं

यहाँ पर प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों एक समूह कार्य के माध्यम से प्रतिभागीयों की समझ बनाई जाये। गाँव के कोई दो मुद्दों को लिया जाये। जैसे पानी और स्वच्छता का आपस में घनिष्ठ जुड़ाव है। इसमें सबसे पहले पानी की समस्या और स्वच्छता का आकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रतिभागीयों के दो समूह बनाएं जाएंगे। एक समूह ग्राम में पानी की समस्या पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित सवालों के उत्तर तलाशेगा—

1. गांव के किन मोहल्लों में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है?
2. यहां पानी की समस्या से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे उठानी पड़ती है और क्या तकलीफ उठानी पड़ती है?
3. पानी की समस्या हल करने में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है?
4. ग्राम पंचायत में इस मुद्दे को कौन रखेगी और किस तरह रखेंगी?

दूसरे समूह को गांव की स्वच्छता पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह समूह निम्नलिखित सवालों पर चर्चा करेगा—

1. गांव में स्वच्छता की क्या स्थिति है? गली मोहल्लों की साफ-सफाई, कीचड़ की स्थिति आदि।
2. कितने घरों में शौचालय नहीं हैं?
3. जिन घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें शौचालयों का लाभ कैसे दिलवाएंगे।
4. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन है तथा उन्हें कैसे उत्तरदायी बनाया जाए?

उपरोक्त सवालों पर चर्चा करने के बाद दोनों समूह अपना-अपना प्रस्तुतीकरण करेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तय किया जाएगा कि

1. एक दल पानी की समस्या के लिए ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच से मिलेगा और पानी की समस्या हल करने के लिए हैण्डपंप निर्माण की मांग करेगा।
2. दूसरा समूह ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गांव की स्वच्छता का आकलन करेगा। जहां कीचड़, गंदगी तथा खुले में शौच की स्थिति दिखाई दें उसके बारे में सरपंच—सचिव से चर्चा करेगा। यदि उस माह ग्रामसभा हो रही हो तो यह मुददा ग्रामसभा में उठाएगा।

इस तरह सभी प्रतिभागीयों को सीख के साथ भेजा जाये की वो इस प्रक्रिया को अपने समूह एवं ग्राम संगठन की बैठकों में अपना कर अपने अपने गॉव में इन समितियों को सहयोग करे और कार्यों की निगरानी भी करे।

सेवा प्रदाता की ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर जिम्मेदारी

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक सेवाओं के सेवा प्रदाता ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिये इन्हें भी ग्राम सभा में उपस्थित रहने की सूचना देना जरूरी है।

ग्राम सभा सदस्य उनसे सेवाओं से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, जैसे :-

- ए.एन.एम. व आशा कार्यकर्ता से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, अस्पताल में हुए प्रसवों की संख्या, घर—घर विजिट एवं टीकाकरण पर सवाल पूछे जा सकते हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पोषण आहार, कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की संख्या, एन.आर.सी. में रैफर किए गए बच्चों की संख्या, गर्भवती, धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाएं तथा आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति एवं गतिविधियों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं।
- उचित मूल्य की राशन दुकान के डीलर से यह पूछ सकते हैं कि पिछले महिनों में कुल कितना राशन आया, उसमें से कुल कितना राशन वितरित किया गया तथा कितना शेष है, आदि।
- पटवारी से यह पूछ सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के कितने प्रकरणों पर कार्यवाही हुई तथा कितने प्रकरण शेष हैं तथा उन पर कितने दिनों में कार्यवाही पूरी होगी।
- पैसा के अंतर्गत — प्रावधानों से संबंधी सवाल।

(इसी तरह अन्य विभागों के सेवा प्रदाताओं से भी लोगों को दी जाने वाली सेवाओं और लाभ के संदर्भ में सवाल पूछे जा सकते हैं।)